दिनांक 27.03.2025
प्रेस विज्ञप्ति 44/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

इंस्टाग्राम पर आत्महत्या संबंधी वीडियो का संज्ञान लेकर तत्काल वीडियो अपलोड करने वाले व्यक्ति की काउंसलिंग की गई

दिनांक 26.03.2025 को जनपद इटावा के थाना भरथना क्षेत्र में रहने वाले 22 वर्षीय, शादी विवाह मे वेटर का काम करने वाले व्यक्ति द्वारा जहर (डाई) पीकर आत्महत्या करने संबंधी स्टोरी (the last day of my life) लिखकर इंस्टाग्राम पर अपलोड की गयी थी। उक्त वीडियो के संबंध में दिनांक 26.03.2025 को समय 12.01 बजे मेटा कंपनी की तरफ से मुख्यालय पुलिस महानिदेशक स्थित सोशल मीडिया सेन्टर में ई–मेल के ज़रिए एलर्ट प्राप्त हुआ, जिसका तत्काल संज्ञान लेकर उच्चाधिकारियों को अवगत कराया गया।

श्री प्रशान्त कुमार, पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय द्वारा उक्त एलर्ट पर तत्काल कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया। मेटा कंपनी द्वारा भेजे गए अलर्ट का संज्ञान लेकर मुख्यालय की सोशल मीडिया सेन्टर द्वारा प्राप्त अलर्ट में उपलब्ध कराए गए मोबाईल नम्बर के आधार पर वीडियो अपलोड करने वाले व्यक्ति की लोकेशन की जानकारी कर जनपद इटावा को तत्काल समय 12.25 पर प्रकरण से अवगत कराया गया।

मुख्यालय द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना पर प्रभारी निरीक्षक थाना भरथना द्वारा तत्काल पीड़ित के घर पहुंचकर जानकारी की गई तो ज्ञात हुआ कि पीड़ित ने बालो में लगाने वाली गोदरेज डाई को पी लिया था। इस जानकारी पर थाना प्रभारी द्वारा पीडित को तत्काल सीएचसी भरथना ले जाकर उपचार दिलाया गया। उपचार के उपरान्त पीड़ित ने स्वस्थ होने पर बताया कि मेरी माँ शादी समारोह में खाना बनवाने का कार्य करने जाती थी, जो मुझे पसन्द नहीं था। मैने माँ से कई बार मना किया फिर भी वह खाना बनवाने चली गयी, जिससे दुखी होकर मैने डाई पी ली थी एवं आत्महत्या सम्बन्धी

स्टोरी इन्स्टाग्राम पर अपलोड कर दिया था। काउंसलिंग के उपरान्त पीड़ित द्वारा आत्महत्या के विचार को मन से त्याग कर भविष्य में ऐसी गलती नहीं करने का आश्वासन दिया गया।

उत्तर प्रदेश पुलिस एवं मेटा कम्पनी के मध्य मार्च 2022 से प्रचलित व्यवस्था के अंतर्गत यदि कोई भी व्यक्ति फेसबुक अथवा इंस्टाग्राम पर आत्महत्या किए जाने से सम्बंधित पोस्ट करता है तो ऐसी पोस्ट के सम्बंध में मेटा कम्पनी द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस को अलर्ट मेल भेजकर सूचित किया जाता है। दिनांक 01.01.2023 से 25.03.2025 के मध्य 867 व्यक्तियों द्वारा की गई आत्महत्या संबंधी पोस्ट पर प्राप्त अलर्ट का संज्ञान लेकर उनकी काउंसिलिंग करके उनके प्राणों की रक्षा उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा की जा चुकी है।

जनपद शामली/थाना झिंझाना

- **पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस**
- **01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट) बरामद**

दिनांक 27.03.2025 को थाना झिंझाना पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर हंस क्रेशर के पास ऊन रोड़ पर बदमाश की घेराबन्दी की गई तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त वसीम उर्फ गुल्लू घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस, 01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट) बरामद हुई। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जो थाना झिंझाना पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना झिंझाना पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–वसीम उर्फ गुल्लू निवासी ग्राम कच्ची गढ़ी थाना गढ़ीपुख्ता जनपद शामली।

बरामदगी

1–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

2–01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट)।

जनपद अयोध्या/थाना इनायतनगर

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 27.03.2025 को थाना इनायतनगर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर प्लासियो माल अहिमामऊ के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त अखिलेश को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जो थाना इनायतनगर पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना इनायतनगर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—अखिलेश निवासी गुठवारा थाना इनायतनगर जनपद अयोध्या।

जनपद शाहजहॉपुर/थाना अल्हागंज

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनॉकः 26.03.2025 की रात्रि थाना अल्हागंज व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर सुगसुगी मोड़ के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त गोधन उर्फ प्रान्शू को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना अल्हागंज पर पंजीकृत अभियोग में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना अल्हागंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—गोधन उर्फ प्रान्शू निवासी ग्राम दहेना थाना अल्हागंज जनपद शाहजहॉपुर।

जनपद फिरोजाबाद/थाना शिकोहाबाद

- **पुलिस कार्यवाही में 01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनॉकः 26.03.2025 को थाना शिकोहाबाद पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर दिखतौली नहर पुल के पास बदमाश की घेराबन्दी की गयी तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ

कार्यवाही में अभियुक्त जीशान अली घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

इस सम्बन्ध में थाना शिकोहाबाद पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—जीशान अली निवासी दिखतौली थाना शिकोहाबाद जनपद फिरोजाबाद।

बरामदगी

1—01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

जनपद इटावा/थाना बकेवर

- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के सोने—चॉदी के आभूषण**
- **80 ग्राम अवैध चरस**
- **02 किलो 220 ग्राम अवैध गांजा**
- **1500/—रूपये नगद**
- **02 मोटर साइकिल**
- **02 अवैध तमंचा मय जीवित कारतूस बरामद**

दिनॉकः 26.03.2025 की रात्रि थाना बकेवर व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर आनेपुर तिराहा के पास से 03 अभियुक्तों 1—सतेन्द्र 2—गोरेलाल 3—टीटू उर्फ रघुवीर को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के सोने—चॉदी के आभूषण, 80 ग्राम अवैध चरस, 02 किलो 220 ग्राम अवैध गांजा, 1500/—रूपये नगद, 02 मोटर साइकिल, 02 अवैध तमंचा मय जीवित कारतूस बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि थाना बकेवर क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरों द्वारा चोरी की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना बकेवर पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी व माल की बरामदगी के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद आभूषण चोरी की घटनाओं से सम्बन्धित हैं। गिरफ्तार अभियुक्त सतेन्द्र के विरूद्ध जनपद इटावा, हमीरपुर, फिरोजाबाद, कमिश्नरेट आगरा के विभिन्न थानों पर चोरी, डकैती, धोखाधड़ी, एनडीपीएस, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 15 अभियोग, अभियुक्त गोरेलाल के विरूद्ध जनपद हमीरपुर, इटावा के विभिन्न थानों पर चोरी, डकैती, धोखाधड़ी, आर्म्स एक्ट, एनडीपीएस एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 09 अभियोग व अभियुक्त टीटू उर्फ रघुवीर के विरूद्ध जनपद हमीरपुर, इटावा, कमिश्नरेट आगरा के विभिन्न थानों पर लूट, चोरी, आबकारी एक्ट, एनडीपीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एकट आदि के 13 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना बकेवर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1—सतेन्द्र निवासी हुॅमायूपुर थाना शमशाबाद, आगरा।

2—गोरेलाल निवासी गांव लल्ली डेरा थाना कुरारा जनपद हमीरपुर।

3—टीटू उर्फ रघुवीर निवासी महलबास थाना डोंकी, आगरा हालपता—ग्राम नगला पिलुआ थाना चकरनगर जनपद इटावा।

<u>बरामदगी</u>

1—चोरी के सोने—चॉदी के आभूषण।

2—80 ग्राम अवैध चरस।

3—02 किलो 220 ग्राम अवैध गांजा।

4—1500/—रूपये नगद।

5—02 मोटर साइकिल।

6—02 अवैध तमंचा मय जीवित कारतूस।

जनपद हापुड़/थाना गढ़मुक्तेश्वर

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 05 मोटर साइकिल व 01 मोटर साइकिल के कटे हुए पार्टस आदि बरामद**

दिनांक 26.03.2025 को थाना गढ़मुक्तेश्वर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर दौताई नहर पुल के पास से 02 अभियुक्तों 1–कुलदीप कुमार 2–जैद को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 05 मोटर साइकिल व 01 मोटर साइकिल के कटे हुए पार्टस आदि बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना गढ़मुक्तेश्वर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–कुलदीप कुमार निवासी जाटव मोहल्ला कस्बा व थाना बीबीनगर जनपद बुलन्दशहर, हालपता जयभीम नगर थाना भावनपुर जनपद मेरठ।

2–जैद निवासी इस्लामाबाद बुनकर नगर थाना लिसाडी गेट जनपद मेरठ।

बरामदगी

1–चोरी की 05 मोटर साइकिल व 01 मोटर साइकिल के कटे हुए पार्टस आदि।

जनपद आजमगढ़/थाना रानी की सराय

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 07 लाख रूपये कीमत के 70 किलो 200 ग्राम अवैध गांजा**
- **नगद रूपये, 02 मोबाइल फोन**
- **01 आटो वाहन आदि बरामद**

दिनांक 26.03.2025 को थाना रानी की सराय व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर सेमरहा अण्डरपास के पास चेकिंग के दौरान 02 अभियुक्तों 1–साहनी 2–सुरेन्द्र को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के

कब्जे/निशादेही से लगभग 07 लाख रूपये कीमत के 70 किलो 200 ग्राम अवैध गांजा, नगद रूपये, 02 मोबाइल फोन, 01 आटो वाहन आदि बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना रानी की सराय पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—साहनी निवासी एकडेरवा थाना व जनपद गोपालगंज बिहार।

2—सुरेन्द्र निवासी छित्रवली टड़वा थाना खामपार जनपद देवरिया।

बरामदगी

1—लगभग 07 लाख रूपये कीमत के 70 किलो 200 ग्राम अवैध गांजा।

2—नगद रूपये, 02 मोबाइल फोन।

3—01 आटो वाहन आदि।

- **जनपद सीतापुर/थाना मछरेहटा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 04 अभियुक्तो को आजीवन कारावास की सजा व अर्थदण्ड)**

जनपद सीतापुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद सीतापुर द्वारा थाना मछरेहटा पर पंजीकृत अभियोग में अभियुक्त 1—लालबाबू 2—सुकरू उर्फ संदीप कुमार 3—नान्हू उर्फ कृष्ण कुमार को धारा 302/34 भादवि व 3(2)(5) एससी/एसटी एक्ट के अन्तर्गत आजीवन कारावास व 50—50 हजार रूपये अर्थदण्ड एवं अभियुक्त 4—सुदीप कुमार को धारा 302/34 भादवि के अन्तर्गत आजीवन कारावास व 25 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद गोरखपुर/थाना गुलरिहा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 05 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा व 10—10 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद गोरखपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा थाना गुलरिहा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/149 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1—नीरज 2—उमेशचन्द्र 3—कन्हैया लाल 4—मनोज 5—पारूल उर्फ मृदुल को आजीवन कारावास व 10—10 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद बांदा/थाना बबेरू (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 04 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा व 10–10 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बांदा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बांदा द्वारा थाना बबेरू पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/34 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–बृजेश 2–रामनरेश 2–दो अभियुक्ता को आजीवन कारावास व 10–10 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>कमिश्नरेट लखनऊ/थाना सुशान्त गोल्फ सिटी (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कठोर कारावास की सजा व 25 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

कमिश्नरेट लखनऊ पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय लखनऊ द्वारा थाना सुशान्त गोल्फ सिटी पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त प्रेम कुमार को आजीवन कठोर कारावास व 25 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद अमरोहा/थाना अमरोहा देहात (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तों को 20–20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 01–01 लाख रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद अमरोहा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद अमरोहा द्वारा थाना अमरोहा देहात पर पंजीकृत अभियोग में धारा 06 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त 1–गुड्डू 2–अंकित को 20–20 वर्ष के कठोर कारावास व 01–01 लाख रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद अमरोहा/थाना आदमपुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 10 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद अमरोहा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद अमरोहा द्वारा थाना आदमपुर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 498ए/304बी भादवि व 4 डीपी एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त सुनील को 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 10 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद चन्दौली/थाना सकलडीहा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 01 लाख रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद चन्दौली पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद चन्दौली द्वारा थाना सकलडीहा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त जवाहर को 10 वर्ष के कठोर कारावास व 01 लाख रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद गोरखपुर/थाना सिकरीगंज (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 07 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 17 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद गोरखपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा थाना सिकरीगंज पर पंजीकृत अभियोग में धारा 363/366 भादवि व 4 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त रविन्द्र को 07 वर्ष के कठोर कारावास व 17 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

————————